

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा.प्र.से.
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन
(संलग्न विवरणी के अनुसार)

पटना, दिनांक : 15-3-2019

विषय:- स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या-20 अन्तर्गत मुख्य व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-103-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-0001-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विपत्र कोड- 20-2210031030001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों में कुल ₹16,05,28,790/- (सोलह करोड़ पाँच लाख अट्ठाईस हजार सात सौ नब्बे) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या-20(7)ब दिनांक-14.06.18, 28(7)ब दिनांक-06.09.18, 29(7)ब दिनांक-10.09.18, 33(7)ब दिनांक-01.10.18, 56(7)ब दिनांक-5.11.18, 60(7)ब दिनांक-03.12.18, 68(7)ब दिनांक-28.12.18, 79(7)ब दिनांक-8.01.19 एवं 81(7)ब दिनांक-10.01.19 एवं 92(7)ब दिनांक-22.02.19 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों में कुल ₹16,05,28,790/- (सोलह करोड़ पाँच लाख अट्ठाईस हजार सात सौ नब्बे) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है (विवरणी संलग्न)।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या-20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-103-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-0001-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विपत्र कोड - 20-2210031030001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

4. संबंधित सिविल सर्जन को निदेश दिया जाता है कि आवंटित राशि को अपने अधिनस्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्राम औषधालय एवं जिला प्रशिक्षण दल के कार्यरत बल के आधार पर राशि का उपावंटन करेंगे तथा उसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी। इसकी पूरी जबाबदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी। एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे।

5. आहार/पथ, वाहन का इंधन एवं रखरखाव, सामग्री-पूर्तियाँ, मशीने एवं उपस्कर, दवा भंडार एवं दूरभाष के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित सिविल सर्जन तथा अन्य इकाईयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, निदेशक लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

6. सिविल सर्जन एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे। साथ ही विभाग द्वारा जिस संस्थान को जो राशि आवंटित की जा रही है उसी संस्थान में व्यय सुनिश्चित की जाय। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी। इसकी पूरी जबाबदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी।

7. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।



1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है ।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

8. यह मात्र आवंटन आदेश है । इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय । व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे ।
10. क्रय सम्बंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-96(9) दिनांक-18.02.99, 142(9) दिनांक- 15.03.2001, 241(9) दिनांक-21.05.2002 एवं 379(9) दिनांक-16.08.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.1.06 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा ।
11. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।
12. वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव मद में आवंटित राशि से संधारण/मरम्मती आदि के लिए वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेश/परिपत्र का अक्षरशः अनुपालन करते हुए ही व्यय सुनिश्चित की जाय ।
13. संविदा सेवाएँ (28-02) तथा व्यवसायिक / कला/ तकनीकी सेवाएँ (28-04) इकाई के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी होंगे ।
14. सामग्री एवं पूर्तियों मद में आवंटित राशि से सतरंगी चादर संबंधित भुगतान की राशि भी सम्मिलित है ।
15. संबंधित सिविल सर्जन अपने अधिनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्राप्त कर समेकित कर तथा सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।
16. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,



(राधेश्याम साह)


सरकार के विशेष सचिव

पटना, दिनांक : 15-3-19

ज्ञापार्क : 119 (7) ए

प्रतिलिपि : महालेखाकार(ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी-7/प्रशाखा पदाधिकारी, / आई0टी0मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।



सरकार के विशेष सचिव



वित्तीय वर्ष 2018-2019 में बिहार स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य कन्द्रों / अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं ग्राम औषधालयों (विपत्र कोड 20-2210031030001) का वेतन भत्ता एवं अन्य मदों में अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01-01)	जीवन यापन भत्ता (01-03)	मकान भत्ता (01-04)	चिकित्सा भत्ता (01-06)	अन्य भत्ता (01-07)	योग वेतन 8	यात्रा व्यय (11-01)	कार्यालय व्यय (13-01)	वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव (13-02)	वर्दी / पोषाक (13-06)	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21-01)	प्रशिक्षण व्यय (20-03)	दवा भंडार (21-02)	आहार/ पथ्य (21-03)	संविदा सेवाएँ (28-02)	व्यवसायिक/ कला/ तकनीकी सेवाएँ (28-04)	कुल 18	अभ्युक्ति 19
1	पटना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000000	0	4000000	2105/7.3.19
2	भोजपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000000	0	9000000	300000	1000000	0	12300000	951/9.3.19
3	रोहतास	2500000	2000000	150000	270000	65000	4985000	20000	100000	0	0	0	0	1900000	0	3000000	2000000	12005000	642/5.3.19 205/12.3.19
4	गोपालगंज	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000000	0	0	0	4000000	387/27.2.19
5	सुपौल	1500000	900000	75000	162000	39000	2676000	100000	49000	0	175000	0	0	0	0	3000000	4000000	10000000	305/15.2.19
6	पूर्णिया	0	0	0	0	0	0	0	0	600000	0	4000000	6000	6000000	0	3000000	0	13606000	581/25.2.19 761/7.3.19
7	अरवल	0	0	0	0	0	0	0	0	800000	0	0	0	5000000	0	3000000	4000000	12800000	372/5.3.19 50/27.2.19
8	कैमूर	2500000	2000000	150000	270000	65000	4985000	60000	30000	60000	0	0	0	0	0	0	5000000	10135000	22/14.1.19
9	सहरसा	1500000	1200000	75000	162000	39000	2976000	0	0	0	0	0	0	0	0	800000	0	3776000	469/27.2.19
10	जहानाबाद	2500000	2000000	150000	270000	65000	4985000	0	200000	0	100000	0	30000	5000000	50000	2000000	2000000	14365000	460/5.3.19 130/17.2.19
11	औरंगाबाद	0	0	0	0	0	0	98750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98750	307/9.2.19
12	गया	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	4000000	6000000	10200000	1012/9.3.19
13	सिवान	566000	509400	28300	61128	14716	1179544	0	0	0	0	0	0	0	0	3000000	0	4179544	57/23.2.19
14	समस्तीपुर	700000	592300	37500	80412	22284	1432496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1432496	606/28.2.19
15	खगड़िया	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000000	0	4000000	734/7.3.19
16	बेगूसराय	0	0	0	0	0	0	0	300000	0	15000	0	0	0	1000000	0	4000000	5315000	180/29.1.19
17	वैशाली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3178000	5000000	8178000	370/21.2.19
18	बोंका	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9000000	0	0	0	9000000	372/18.2.19
19	मधुबनी	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	200000	350000	0	0	2000000	0	2000000	4750000	556/5.3.19
20	मोतिहारी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000000	0	4088000	6088000	268/14.2.19
21	लखीसराय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	5000000	6000000	241/14.2.19
22	शेखपुरा	0	0	0	0	0	0	40000	50000	0	200000	0	0	0	0	2000000	2000000	4290000	203/22.2.19
23	निदेशक, लोक स्वा. सौ. पटना।	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	245/28.2.19
	कुल	11766000	9201700	665800	1275540	310000	23219040	418750	829000	1460000	900000	6350000	36000	39900000	5350000	36978000	45088000	160528790	

119 (7) B
15-3-19

(सोलह करोड़ पाँच लाख अट्ठाईस हजार सात सौ नब्बे) रु० मात्र

सरकार के विशेष सचिव

उपबंध की स्थिति

प्राथमिक स्वास्थ्य कन्द्रों / अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य कन्द्रों एवं ग्राम औषधालयों (विपत्र कोड 20-2210031030001)

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0001-01-01)	5999146000	5987380000	11766000	5999146000	0
2	जीवन यापन भत्ता (0001-01-03)	899872000	890670300	9201700	899872000	0
3	मकान किराया भत्ता (0001-01-04)	959863000	959197200	665800	959863000	0
4	परिवहन भत्ता (0001-01-05)	1930000	1871800	0	1871800	58200
5	चिकित्सा भत्ता (0001-01-06)	152352000	151076460	1275540	152352000	0
6	अन्य भत्ता (0001-01-07)	119982000	119672000	310000	119982000	0
7	त्यौहार अग्रिम (0001-01-08)	5000000	0	0	0	5000000
	योग 20-2210.03.103.0001.01-वेतन	8138145000	8109867760	23219040	8133086800	5058200
8	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0001-06-01)	5000000	4959785	0	4959785	40215
9	यात्रा व्यय (0001-11-01)	6400000	3422800	418750	3841550	2558450
10	कार्यालय व्यय (0001-13-01)	9200000	5285000	829000	6114000	3086000
11	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (0001-13-02)	23000000	10700000	1460000	12160000	10840000
12	दूरभाष (0001-13-03)	10000000	5769844	0	5769844	4230156
13	विद्युत प्रभार (0001-13-04)	40000000	40000000	0	40000000	0
14	विधि प्रभार (0001-13-05)	2000000	1986500	0	1986500	13500
15	वर्दी/ पोषाक (0001-13-06)	6390000	4218500	900000	5118500	1271500
16	किराया महसूल एवं कर (0001-14-01)	7500000	7500000	0	7500000	0
17	प्रशिक्षण व्यय (0001-20-03)	23268000	0	36000	36000	23232000
18	सामग्री एवं पूर्तियों (0001-21-01)	66200000	45623000	6350000	51973000	14227000
19	दवा भंडार (0001-21-02)	660000000	620100000	39900000	660000000	0
20	आहार/ पथ्य (0001-21-03)	100000000	69928000	5350000	75278000	24722000
21	लघु कार्य (0001-27-01)	1000	0	0	0	1000
22	अनुरक्षण एवं मरम्मत (0001-27-02)	10000000	0	0	0	10000000
23	संविदा सेवाएँ (0001-28-02)	1000000000	963022000	36978000	1000000000	0
24	व्यवसायिक/कला/तकनीकी सेवाएँ (0001-28-04)	1500000000	1454912000	45088000	1500000000	0
25	मशीने एवं उपस्कर (0001-52-01)	30000000	30000000	0	30000000	0
	कुल योग:-	11637104000	11377295189	160528790	11537823979	99280021

115 (7) ए

15-3-19

(Handwritten Signature)

सरकार के विशेष सचिव

(Handwritten Mark)